

Speed post /त्रिव डाक**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOPbZn/3/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: /10/2023

प्रेषित: खान एजेंट,

राजपुरा-दरीबा सीसा-जास्त खान,

मेसर्स: हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,

पोस्ट: दरीबा, तालुका: रेलमगरा,

जिला: राजसमंद (राजस्थान), पिन: 313211.

(e-mail: sanjay.kumar5@vedanta.co.in, nathu.choudhary@vedanta.co.in, sandeep.rajput@vedanta.co.in)

विषय: राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित आपकी राजपुरा-दरीबा सीसा-जास्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 28/08/2023 and 29/08/2023 by undersign in presence of Sri Sanjay Kumar, Mine Manager & Mining Engineer and Sri Sandeep Rajput, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification in Review of Mining Plan approved on 27/07/2021 to the extent given below for the year 2022-23:</p> <p>(1) The development of 10540 meter was achieved against the target of 13000 meters of development, resulting shortfall in development meters.</p> <p>(2) Ventilation was observed poor in levels namely 120 mRL, 145 mRL, 170 mRL and 190 mRL of NA block of North Load and -160 mRL, -135 mRL, and -110 mRL of E3 block of East Load.</p> <p>(3) Water logging & sludge was observed in levels namely 120 mRL, 145 mRL, 170 mRL and 190 mRL of NA block of North Load and -160 mRL, -135 mRL, and -110 mRL of E3 block of East Load.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर